

शहरी सहकारी बैंकों को प्रासंगिक बनाए रखने में सशक्त गवर्नेंस और सुरक्षित आईटी परिचालनों का महत्व*

एन.एस. विश्वनाथन

गुजरात शहरी सहकारी बैंक संघ द्वारा आयोजित सहकार सेतु के इस संस्करण में उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही। गुजरात राज्य में सहकारी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने में फेडरेशन सक्रिय रहा है। फेडरेशन और उसके सदस्य बैंकों के प्रयासों के कारण ही यह संभव हो सका है कि राज्य में सहकारी बैंक माधवपुरा बैंक संकट से निपटते हुए और अधिक मजबूत बनकर खड़े हुए हैं। फेडरेशन ने कई कदम उठाए हैं जिनमें विशेष रूप से शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना शामिल रहा है।

आज मैं यहाँ शहरी सहकारी बैंकों की वर्तमान स्थिति पर अपने कुछ विचार आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ और मेरा प्रयास होगा कि इस दिशा में रिज़र्व बैंक द्वारा अपनायी जा रही कुछ नीतियों के पीछे का नज़रिया आपके सामने स्पष्ट कर सकूँ। इस क्षेत्र के लिए हमारी भावी योजनाएं क्या हैं, इसकी एक झलक भी मैं आपको देना चाहूंगा।

मैं अपनी बात कुछ आंकड़ों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहता हूँ। 31 मार्च 2017 तक, यूसीबी की संख्या 1562 थी और इनमें जमाराशि कुल मिलाकर ₹443,468 करोड़ थी और कुल अग्रिम राशि ₹261,225 करोड़ थी। इस क्षेत्र की जमाराशियाँ बैंकिंग क्षेत्र की कुल जमा का लगभग 3.6 प्रतिशत तथा अग्रिम राशियाँ बैंकिंग क्षेत्र की कुल अग्रिम का 2.9 प्रतिशत थीं। समग्र रूप से देखें तो, वर्ष 2016-17 के दौरान जमा में 13.1 प्रतिशत और अग्रिमों में 6.6 प्रतिशत की सालाना वृद्धि हुई। सकल एनपीए 7 फीसदी से थोड़ा अधिक रहा। आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) 0.77 प्रतिशत था और 9 प्रतिशत से अधिक के जोखिम भारित आस्ति (सीआरएआर) - पूंजी अनुपात के साथ लगभग 91

* *गुजरात शहरी सहकारी बैंक संघ द्वारा 04 अगस्त 2018 को गाँधीनगर में आयोजित कार्यक्रम - सहकार सेतु में उप गवर्नर श्री एन. एस. विश्वनाथन द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण।

प्रतिशत से अधिक बैंक ऐसे थे जिनमें समुचित पूंजीकरण किया गया था।


जैसा कि आप में से बहुत से लोग यह जानते होंगे कि माधवपुरा बैंक संकट के तुरंत बाद यूसीबी का बाजार हिस्सा लगभग 6.3 प्रतिशत से घटकर 5.8 प्रतिशत के आसपास हो गया। इस क्षेत्र में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा कई उपाय किए गए थे। इनमें राज्य सरकारों के साथ समझौता जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने और अधिकांश राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों पर टास्क फोर्स (टीएएफसीयूबी) का गठन जैसे कदम शामिल थे। नीचे दिए गए चार्ट में पिछले 10 वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण मानकों पर इस क्षेत्र का कार्यनिष्पादन दर्शाता है।



यूसीबी की आस्ति गुणवत्ता :

साल-दर साल इस क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में लगातार सुधार हुआ है (चार्ट1)।

यूसीबी का रेटिंग-वार वितरण :

यूसीबी का पर्यवेक्षण कैमैल्स (पूँजी, संपत्ति, प्रबंधन, कमाई, चलनिधि और प्रणालियों) मॉडल के तहत किया जाता है और इस प्रकार किए गए मूल्यांकन के आधार पर, इन्हें ए से डी तक की पर्यवेक्षी रेटिंग दी जाती है, ए उच्चतम रेटिंग होती है और डी निम्नतम। वर्ष 2007 से यह देखा जा रहा है कि ऐसे यूसीबी जिन्हें 'सी' या 'डी' पर्यवेक्षी रेटिंग प्रदान की गयी थी, उनकी संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है (चार्ट 2)।






चार्ट 3 में निचली रेटिंग वाले यूसीबीए की संख्या में आयी प्रतिशत गिरावट दर्शायी गयी है।

यूसीबी का सीआरएआर-वार वितरण :

समग्र रूप से देखें तो 3 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले यूसीबी की संख्या कम होती जा रही है। इनकी संख्या 31 मार्च 2008 को 224 थी, जो 31 मार्च 2013 को घटकर 160 हो गयी और 31 मार्च 2017 तक यह आंकड़ा और कम होता हुआ 114 तक पहुंच गया (चार्ट 4)। 9 प्रतिशत




से अधिक सीआरएआर के विनियामकीय प्रावधान का पालन करने वाले यूसीबी का प्रतिशत साल दर साल बढ़ा है और यह 31 मार्च 2008 के 82.3 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2013 को 88.1 प्रतिशत और फिर 31 मार्च 2017 को 91.5 प्रतिशत हो गया।

प्रबंधन और लघु वित्त बैंक (एसएसबी) में स्वैच्छिक परिवर्तन बोर्ड

विभिन्न मानकों पर, निःसंदेह, लगातार प्रगति हुई है जिससे इस बात के संकेत मिले हैं कि रिज़र्व बैंक और इस क्षेत्र ने मिलकर सम्मिलित प्रयासों से माधवपुरा बैंक संकट से उपजे मामलों से निपटने में सफलता पायी। लेकिन क्या ये आंकड़े हमें आराम से बैठने की इजाजत देते हैं ? आइए, एक नजर अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के आंकड़ों पर डालते हैं। यूसीबी मुख्य रूप से छोटे-छोटे टिकट अग्रिमों में अपना कारोबार करते हैं, जिसे देखते हुए औसतन 7% का एनपीए उचित नहीं कहा जा सकता। यूसीबी अभी भी बासेल-1 फ्रेमवर्क के तहत काम कर रहे हैं इसलिए केवल सीआरएआर का अनुपालन पर्याप्त नहीं माना जा सकता। जनसाधारण का विश्वास हासिल करने का असली पैमाना है बाजार में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, यूसीबी की बाजार हिस्सेदारी जो वर्ष 2002 में 6.4 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी, वह 2017 तक घटकर 3.3 प्रतिशत रह गयी है।

बाजार हिस्सेदारी में आयी उपर्युक्त गिरावट जैसा कि चार्ट-5 में दर्शाया गया है, को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत



होता है कि इस गिरावट का विश्लेषण किया जाए और इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि इस समस्या से निपटने के लिए कौन से कदम उठाए जाने आवश्यक है।

मैं पिछले कुछ समय से बार-बार यह कहता रहा हूं और आज रात को पुनः दोहराने की आवश्यकता है कि बैंकिंग कारोबार जनता के विश्वास पर आधारित होता है क्योंकि बैंकिंग का मुख्य स्रोत जमा राशियां होती हैं और जमा में बढ़ोतरी तभी होगी जब जनसाधारण का विश्वास बैंक में बना रहेगा। हालांकि यह बात बड़ी आसानी से कही जा सकती है यूसीबी की बाजार हिस्सेदारी में आयी कमी का मुख्य कारण बैंकिंग क्षेत्र के भीतर तथा उसके बाहर से भी आए अन्य प्रतिस्पर्धी विकल्पों के कारण है, फिर भी इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि यूसीबी के लिए जरूरी है कि वे अपने जमाकर्ताओं का विश्वास फिर से हासिल करें और उसे बनाए रखें। सामान्यतया इस प्रकार का विश्वास अन्य बातों के साथ साथ इस बात के साक्ष्य स्वरूप आता है कि -

1. बैंक का कारोबार ठीक-ठाक चल रहा है, इसलिए जमा राशि को कोई खतरा नहीं है;
2. अगर कोई संकट आता है तो बैंक उससे निपटने में सक्षम है; और
3. यदि बैंक असफल भी हो जाता है, तो जमाकर्ताओं के हितों को कम से कम प्रभावित किए बिना इसका समाधान हो जाएगा।

इनमें से पहले दो कारक यूसीबी के गवर्नेंस से संबंधित हैं। जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो यूसीबी के बोर्डों में पेशेवर नजरिया विकसित करने की बात सर्वप्रमुख तरीके से उभरकर आती है। कई बार ऐसा होता है कि अज्ञानतावश

या किसी अन्य कारण से ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं पिछले कुछेक वर्षों से इस क्षेत्र के बैंकों ने अपने बोर्डों में प्रोफेशनल्स को रखने की दिशा में प्रयास किए हैं, परंतु बोर्ड की चयन-प्रक्रिया के कारण हमेशा से कुछ अंतर्निहित विरोधाभास उपजते रहे हैं जैसे कि कभी-कभी बोर्ड के कुछ सदस्य ही उसी बैंक के उधारकर्ता भी होते हैं। इस बहुचर्चित दोहरे नियंत्रण का परिणाम यह होता है कि इसके कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने में रिजर्व बैंक की क्षमता अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तेजी से आगे बढ़ते हुए एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के उपरांत इस दिशा में पर्याप्त सुधार हुआ है, परंतु इसकी प्रक्रिया अभी भी अत्यंत जटिल है।

इसके अलावा, यूसीबी द्वारा सहकारिता के सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करवाने वाले गवर्नेंस ढांचे की भूमिका तथा यूसीबी जनता की जमा राशियों से प्राप्त वित्तपोषण के बल पर एक बैंक के रूप में व्यवसाय कर रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करवाने वाली इकाई की भूमिका के बीच उचित विभाजन होना आवश्यक है। हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधन बोर्ड पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए जाने पीछे यही कारण था। मैंने सुना है कि इसके बारे में लोगों ने कुछ गलत धारणाएं भी बना ली हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रबंधन बोर्ड का उद्देश्य यूसीबी के गवर्नेंस में सुधार करना होता है, जिससे क्षेत्र पर लोगों का विश्वास बढ़े। प्रबंधन बोर्ड गवर्नेंस ढांचे में पेशेवर नजरिया विकसित करने के लिए एक संस्थागत फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है जो यूसीबी की बैंकिंग गतिविधियों का प्रबंधन करेगा। जैसा कि आप सब यह जानते हैं कि इस प्रकार का सुझाव बहुत पहले दिया गया था और हम इसे लागू करने के विभिन्न तरीके तलाशते रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि यह सुझाव विभिन्न हितधारकों द्वारा पारस्परिक विचार-विमर्श से उपजा है जिसके कारण विधायी परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता अब नहीं रही है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस बात को समझते होंगे कि प्रस्तावित कदम से यूसीबी में जनता का विश्वास बढ़ेगा और इससे वे बाजार में उनकी हिस्सेदारी फिर से हासिल कर सकेंगे।

जनता का विश्वास हासिल करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के एक हिस्से के रूप में रिजर्व बैंक ने यूसीबी को इस बात की अनुमति देने की अपनी मंशा की घोषणा की है कि वे स्वेच्छा से लघु वित्त बैंक (एसएफबी) के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। वित्तीय समावेशन के व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए देखें एसएफबी की भूमिका यूसीबी की तरह ही होती है। वास्तव में उनको 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) का लक्ष्य प्राप्त करना है और

यह भी सुनिश्चित करना है उनके अग्रिमों का कम से कम 50% हिस्सा टिकट साइज का हो अर्थात् ₹2500000 से कम। कई यूसीबी का असेट प्रोफाइल इस मानदंड का पालन नहीं करता परंतु इससे भी अधिक चिंताजनक यह तथ्य है कुछ यूसीबी तो उनके लिए निर्धारित 40% पीएसएल के लक्ष्य को भी पूरा नहीं करते। इसलिए यूसीबी को एसएफबी में परिवर्तित होने का विकल्प उपलब्ध करा देने से वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इससे यूसीबी में जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जमाकर्ता इस बात से आश्वस्त हो जाएंगे कि बैंक के पास एक भिन्न फ्रेमवर्क पर अंतर्गत होने का विकल्प है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें बाजार से पूंजी उगाही की क्षमता उपलब्ध होगी जिसके जरिये न केवल वह अपने तुलन-पत्र को सुदृढ़ करते हुए अपना कारोबार बढ़ा सकेगा, बल्कि एक बेहतर समाधान व्यवस्था भी प्राप्त हो सकेगी। बहरहाल, यह पूरी तरह स्वैच्छिक है और किसी भी बैंक के हितधारकों के पास इस प्रकार का विकल्प होना उचित ही है।

मुद्दे और चुनौतियां

आइए, आप कुछ अन्य और चुनौतियों की बात करते हैं।

पूंजी

यूसीबी अभी भी बासेल-1 मानदंडों के अंतर्गत काम करते हैं। जैसा कि आप में से बहुत से लोग यह जानते हैं कि इन मानदंडों के अंतर्गत परिगणित सीआरएआर से बैंकों की सुदृढ़ता और आघातों को सहन करने की उनकी क्षमता का समुचित आकलन नहीं हो पाता। रिजर्व बैंक इस बात को समझता है यूसीबी के समक्ष पूंजी उगाही की समस्या है और इसीलिए यूसीबी को बासेल 1 मानकों के तहत काम करने की छूट दी गई है; हालांकि वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में देखें तो यही बात नए कारोबारी क्षेत्रों में प्रवेश करने और अपनी उपस्थिति में विस्तार करने के मार्ग में यूसीबी के लिए बाधा बनती है। इस क्षेत्र के बहुत से बैंक इतने छोटे हैं कि इनके दबावग्रस्त होने की स्थिति में भी बैंकिंग प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी भले ही कोई बैंक कितना भी छोटा क्यों न हो, उसके असफल होने से बैंकिंग प्रणाली पर जनता का विश्वास कम हो जाता है। यद्यपि ऐसे भी यूसीबी हैं जिनके तुलनपत्र का आकार कुछ वाणिज्यिक बैंकों से भी बड़ा होता है। ऐसे में सभी हितधारकों के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बैंकों का पर्याप्त पूंजीकरण किया जाए और उनमें दबावपूर्ण स्थितियों से निपटने हेतु आवश्यक आघातसहनीयता हो कि वे सकें।

यहाँ मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि बढ़ती सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) के माहौल में बैंकिंग

प्रणाली की आघातसहनीयता के परीक्षण के उद्देश्य से दो मानक विचलनों (एसडी) के माध्यम से कराए गए दबाव-परीक्षणों से यह पता चला कि जहाँ एक ओर प्रणाली स्तर पर देखें तो अनुसूचित यूसीबी (एसयूसीबी) का सीआरएआर विनियामकीय अपेक्षा से ऊपर बना रहा, वहीं बैंक विशेष के स्तर पर विचार करें तो बहुत से एसयूसीबी (54 में से 26) ऐसे थे जो सीआरएआर को लक्ष्यानुरूप बनाए नहीं रख सके। यह ध्यान देने योग्य है कि ये निष्कर्ष बासेल 1 मानकों के आधार पर की गयी गणना पर आधारित हैं। यदि बासेल 2 या बासेल 3 मानकों के आधार पर गणना की जाती तो दबाव परीक्षण के निष्कर्ष इससे भी अधिक गंभीर होते। इसलिए यह अति आवश्यक है कि यूसीबी अपने पूंजी-आधार को और अधिक सशक्त बनाएं। इस क्षेत्र को उच्च गुणवत्ता वाली पूंजी जुटानी होगी, न कि केवल टियर 2 पूंजी।

प्रतिस्पर्धा

एक समय था जब यूसीबी का अपना खास बाजार था। लेकिन आज वैसा नहीं है। कामकाज के पारंपरिक तौर-तरीकों वाले बहुत से बैंक आज उन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कमर कस चुके हैं जो कभी को-ऑपरेटिव बैंकों के समर्पित ग्राहक हुआ करते थे। प्रौद्योगिकी की सहायता से आज आर्थिक दृष्टि से समाज के निचले तबकों के ग्राहकों को ऋण देना लाभदायक बन चुका है। परंतु यूसीबी को उस चुनौती के विषय में और अधिक जागरूक रहना होगा जो उन्हें नए बैंकों से मिल रही है। अगर देयताओं की बात करें तो एसएफबी और भुगतान बैंक छोटे जमाकर्ताओं को एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराते हैं, वहीं आस्ति पक्ष को देखें तो एसएफबी और एनबीएफसी भी उसी वर्ग के ग्राहकों के लिए कारोबार कर रहे हैं जैसे ग्राहकों के साथ यूसीबी कारोबार करते हैं। हालांकि यह सही है कि भारत में कारोबार की व्यापक संभावनाएं हैं और इस नाते यहां अच्छा व्यवसाय करने वाले सभी कारोबारियों लिए अवसर मौजूद हैं। फिर भी, वर्तमान बाजार में प्रासंगिक बने रहने के लिए यूसीबी को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को अपनाना ही होगा और उन्हें खुद को उस स्तर तक ले जाना होगा जहां वे प्रौद्योगिकी समर्थित बैंकिंग सेवाओं से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के जोखिमों का प्रबंधन कर सकें। इसे देखते हुए यूसीबी के लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि वे अपनी गवर्नेंस एवं वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाएं।

सूचना प्रौद्योगिकी

आधुनिक बैंकिंग आईटी के बिना संभव नहीं है चाहे वह बैंकों के अपनी हाउसकीपिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) हो अथवा ग्राहकों के साथ संपर्क। आईटी परिचालन गत लागत कम हो जाती है और क्षमता में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है लेकिन साथ ही साथ

इससे परिचालन गत जोखिम भी काफी बढ़ जाता है जिसका परिणाम यह होता है की इस प्रकार के जोखिम के प्रबंधन आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है प्रोग्राम। डिजिटल बैंकिंग के साथ साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं और उससे जुड़े जोखिम होते हैं। इसीलिए बैंकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनकी आईटी प्रणाली सुदृढ़ हो और उसकी नियमित अंतराल पर सूचना प्रणाली आईएस लेखा परीक्षाएं की जाएं। इसके अलावा, बैंकों में आईटी के कार्यान्वयन के पश्चात बैंकों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि उनके पास एक सुदृढ़ आईटी जोखिम प्रबंधन संरचना हो। बैंकों के लिए यह भी जरूरी है कि जोखिम प्रबंधन के लिए पूरी तरह आउटसोर्सिंग पर निर्भर रहने की बजाए उनके पास इस कार्य में कुशल अपने स्टाफ-सदस्य उपलब्ध हों। डिजिटल माध्यमों से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले यूसीबी को चाहिए कि वे ग्राहकों की अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेने-देने से जुड़ी शिकायतों के निवारण को प्राथमिकता दें। जिन यूसीबी के पास जरूरी नियंत्रक ढांचा उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें इस प्रकार के अनधिकृत लेने-देने के लिए आसानी से निशाना बनाया जा सकेगा।

मुझे पता है कि कुछ बड़े यूसीबी ने बहुत ही सशक्त आईटी प्रणाली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, लेकिन मुझे चिंता है उन छोटे 124 यूसीबी की जिनकी जमाराशियों का आकार ₹10 करोड़ से कम है तथा उन 232 बैंकों की जिनकी जमाराशियां ₹10 करोड़ और ₹25 करोड़ के बीच हैं। यह तर्क कि आईटी को अपनाने से परिचालन लागत बढ़ जाती है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईटी समर्थित सेवाएं प्रदान करना आज के समय में प्रासंगिक बने रहने की अनिवार्य शर्त है, साथ ही, हमारे लिए वे सभी उपाय करने आवश्यक हो जाते हैं जो जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किए जाने हेतु जरूरी हैं। आईटी समर्थित प्रक्रियाओं के इस्तेमाल से धोखाधड़ी पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। इस संबंध में यह चिंताजनक है कि आज भी 171 यूसीबी ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ सीबीएस को पूरी तरह लागू नहीं किया है और उन्हें इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता का उपयोग करना चाहिए।

हाल में उठाए गए कुछ कदम :

जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि हमने हाल ही में गैर-अनुसूचित यूसीबी के लिए रिजर्व बैंक में खाता खोलना आसान बनाया है, पीएसएल दिशानिर्देशों में एकरूपता लायी गयी है, अनुसूचित यूसीबी को सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) व्यवस्था के दायरे में लाया गया है, उन प्रतिपक्षी पार्टियों की सूची में नये नाम जोड़े गए हैं जिनके साथ यूसीबी गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में कारोबार कर सकते हैं और उन्हें उनके निवेश पोर्टफोलियो

में मार्क टु मार्केट (एमटीएम) हानि को चार तिमाहियों में बांटकर दर्शाने की अनुमति दी गयी है, जैसा कि वाणिज्यिक बैंकों के मामले में किया गया है। इस प्रकार हम यूसीबी को और अधिक सशक्त बनाने वाला विनियामकीय फ्रेमवर्क उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वे और अधिक प्रभावी तरीके से कारोबार कर सकें और अपनी भूमिका निभा सकें। लेकिन साथ ही, बैंकों, यूसीबी को भी यह सुनिश्चित करना है कि वे काला धन निरोध / आतंकवाद वित्तपोषण से निपटने संबंधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन हो क्योंकि इस शृंखला में यदि कोई भी कड़ी कमजोर होगी तो ऐसे लोग उसका दुरुपयोग अवश्य करेंगे जो नियमों का उल्लंघन करते हुए लेन-देन करने की फिराक में रहते हैं।

अब मैं इस क्षेत्र के भावी परिदृश्य पर अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ।

यूसीबी क्षेत्र में समेकन

वर्ष 1992-2004 की अवधि के दौरान रिजर्व बैंक ने लाइसेंस प्रदान करने में उदारता की नीति अपनायी। इस अवधि में यूसीबी की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। गवर्नेंस में पेशेवर नज़रिए की कमी और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के चलते इनमें से बहुत से यूसीबी की वित्तीय हालत खराब है। वर्ष 2005 के विजन दस्तावेज के आधार पर रिजर्व बैंक ने यूसीबी सेक्टर के भीतर विलय की योजना प्रारंभ की और वर्ष 2010 में यूसीबी के वाणिज्यिक बैंकों में विलय संबंधी दिशानिर्देश अलग से जारी किए। इन दिशानिर्देशों में विलय को पूरी तरह स्वैच्छिक और सहकारिता के सिद्धांत एवं भावना के अनुरूप करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार विलय और बहिर्गमन के जैसे विकल्पों के माध्यम से इस क्षेत्र में मजबूती लाने का मार्ग खुला। वर्ष 2005 से लेकर मार्च 2018 तक 127 का विलय हो चुके हैं।

जैसे-जैसे बैंकिंग और अधिक जटिल होगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कार्य-कुशल स्टाफ की आवश्यकता बढ़ेगी, आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर में नियमित निवेश अपेक्षित होगा और अनुपालन लागत में वृद्धि होगी। वृद्धि हासिल करने और मध्यावधि में प्रासंगिक बने रहने के लिए इस क्षेत्र में समेकन की आवश्यकता है। अब तक अधिकांश विलय किसी बाध्यता के कारण हुए हैं अर्थात् किसी बैंक के कमजोर पड़ जाने के चलते। मुझे लगता है कि यूसीबी के प्रबंधकों को चाहिए कि वे कारोबार में बने रहने की अपनी क्षमता और भावी कारोबारी संभावनाओं समीक्षा करें और अगर वे खुद को वर्तमान में मजबूत स्थिति में पाते हों तो भी कम से कम छोटे स्तर पर समेकन पर विचार करें। इस क्षेत्र को इन मुद्दों पर गंभीरता से चिंतन करते हुए कुछ समाधान तलाशने होंगे।

छत्र संगठन

यह बात आपके समक्ष स्पष्ट हो गयी होगी कि इस क्षेत्र के सम्मुख मौजूद कई चुनौतियां संसाधनों की कमी, परिचालन के छोटे दायरे और अनुपालन की बढ़ती अपेक्षाएं जिनके प्रतिस्पर्धी माहौल में और भी बढ़ने की आशंका है, से उत्पन्न हुई हैं। समेकन के अलावा, यूसीबी क्षेत्र के लिए एक छत्र संगठन बनाकर कुछ चुनौतियों से निपटा जा सकता है। यह विचार सर्वप्रथम उस कार्यदल द्वारा व्यक्त किया गया था जिसका गठन 2006 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूसीबी की पूंजी में वृद्धि के उपाय सुझाने के लिए किया गया था। बाद की कई समितियों ने भी इसका समर्थन किया। इस प्रकार का छत्र संगठन बनाने के पीछे मूल विचार यह था कि एक ऐसा संस्थान बनाया जाए जो जरूरत के समय यूसीबी को चलनिधि संबंधी सहारा दे सके, संसाधन, विशेष रूप से आईटी संसाधन शेयर कर सके और प्रबंधकीय सहयोग प्रदान कर सके। ऐसे कई देशों में इस प्रकार की प्रणाली मौजूद है और वहाँ सहकारी बैंकिंग ने अच्छा कारोबार किया है। हालांकि, इस प्रकार के छत्र संगठन की संरचना और इसके कार्यों को लेकर विभिन्न हितधारकों के बीच आम-सहमति नहीं बन सकी। वर्ष 2016 में नैफकब (राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसायटी संघ) ने इससे जुड़े मुद्दों की जांच करते हुए सिफारिशें देने के लिए एक समिति गठित की। रिज़र्व बैंक को उक्त समिति की रिपोर्ट औपचारिक रूप से प्राप्त हो गयी है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम सक्रियतापूर्वक इस समिति की सिफारिशों की जांच कर रहे हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहूं तो यूसीबी वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, यह भी समझना होगा कि बैंकिंग जहाँ एक ओर दिन-ब-दिन जटिल होती जा रही है, वहीं बाजार के जिस हिस्से पर पहले विशुद्ध रूप से यूसीबी का आधिपत्य हुआ करता था, वहाँ अब प्रतिस्पर्धा का माहौल है। यह प्रतिस्पर्धा पारंपरिक और नये बैंकों से मिल रही है क्योंकि आईटी और फिनटेक ने इस बाजार को उनकी पहुंच के दायरे में ला दिया है। प्रासंगिक बने रहने के लिए यूसीबी क्षेत्र को प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा, आर्टी समर्थित परिचालनों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का सामना करने के लिए कमर कसनी होगी, उपयुक्त गवर्नेंस ढांचा खड़ा करना होगा, कुशल मानव संसाधन का नियोजन करना होगा और सही पैमाने पर परिचालन करना होगा। रिज़र्व बैंक ऐसी नीतियों पर काम करना जारी रखेगा जिनसे यूसीबी में जनसाधारण का विश्वास बढ़े और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि यूसीबी एक साफ-सुथरी बैंकिंग प्रणाली कायम करने की दिशा में हमारे प्रयासों में एक कमजोर कड़ी न साबित हों। मैं आशा करता हूं कि सहकार सेतु के इस संस्करण में होने वाले चिंतन-मनन से ऐसे विचार निकल कर आएंगे जिनसे इस क्षेत्र को और रिज़र्व बैंक को उस दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी।

मैं इस आयोजन की सफलता की कामना करता हूं।

आप सभी को धन्यवाद।